मध्यप्रदेश खेत एवं वन मजदूर यूनियन, भोपाल

पंजीयन क्रमांक 4173, दिनांक 31 - 12 - 1990

(अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस एवं भारतीय खेत मजदूर यूनियन से संबंधित)

*

विधान

तथा

खेत एवं वन मजदूरों से सम्बन्धित कतिपय कानून व योजनाओं के विवरण

मूल्य २) रुपये

*

शाकिर सदन, पटेल नगर लेबर कालोनी, भोपाल
पिन 462001; म. प्र.

(अ)

खेत मजदूर वन मजदूरों के लिए जरूरी बातें

संगठनों क्यों ?

एकता—ज्ञान—शक्ति क्यों ?

सदस्य कौन बन सकता है ?

खेत मजदूर—गरीब किसान—ग्रामीण कारीगर (हाँ)

कौन नहीं बन सकता :— जमींदार, धनी किसान (नहीं)

१) **संगठन के उद्देश्य :—**

अ) अधिक हिस्सेदारी और बेहतर सामाजिक कानून बनाने के लिए संघर्ष।

ब) आपसी फायदों के लिए सहकारी संस्थाओं का विकास।

स) राजनीतिक और सरकारी संस्थाओं में भागीदारी।

द) सरकारी योजनाओं को बेहतर ढंग से लागू कराने के लिए संघर्ष।

२) **सदस्यों की जिम्मेवारी :—**

अ) विधान का पालन व उद्देश्यों का प्रचार।

ब) बहुमत के फैसले को मानना, सभी कामों में बराबर की भागीदारी

स) संगठन के खिलाफ प्रचार करने वालों का विरोध, शोषण और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना।

३) **सदस्यों के अधिकार :—**

अ) संगठन से होने वाले फायदों में बराबर की हिस्सेदारी।

ब) अपनी राय रखने का अधिकार।

स) संगठन के अन्दर गलत नीतियों, व्यक्तियों तथा कार्यक्रमों का कड़ाई से विरोध करना।

द) सभी फैसलों मे भाग लेने, चुनाव में वोट देने तथा चुने जाने का अधिकार।

४) **संगठन के लिए जरूरी बातें :—**

अ) निरन्तरता :— काम, ज्ञान (पढ़ाई) सघर्ष (लड़ाई।

ब) **जनवाद :—** आत्म सदस्यों के बीच ऊपर के फैसलों को सुनाना और नीचे की बात ऊपर तक पहुंचाना।

स) **संगठन का ढांचा :—** चुनी हुई कमेटिया (तीन स्तर) (घ) आलोचना एवं आत्म आलोचना द्वारा स्वस्थ परम्परा।

द) **आत्म निर्भरता :—** आफिस (कार्यालय) पुस्तकालय और चदा

※

मध्यप्रदेश खेत एवं वन मजदूर यूनियन

विधान

1 — इस संघ का नाम मध्यप्रदेश खेत एवं वन मजदूर यूनियन, भोपाल होगा। और इसे इस विधान में संस्था के नाम से सम्बोधित किया जायेगा। संस्था का मुख्य कार्यालय साकिर सदन, पटेल नगर लेबर कालोनी, भोपाल में रहेगा।

2 — इस संस्था के उद्देश्य निम्नांकित होंगे :—

1— मध्य प्रदेश के कृषि उद्योगों एवं वन विभागों और जंगलों में काम करने वाले व्यक्तियों, श्रमिकों को संगठित व एक सूत्र में करना एवं सेवायोजकों के साथ उनके आपसी सम्बन्ध नियमानुकूल रहें, ऐसी व्यवस्था करना।

2— संस्था के सदस्यों के लिए नौकरी तथा जीवन यापन की स्थिति सुधारना।

3— उनकी कठिनाईयों का निराकरण करने का प्रयत्न करना।

4— पारिश्रमिक की कमी को रोकना और संभवतः अग्रिम रूप में दिलाने की समायनुसार व्यवस्था करना।

5— सेवायोजक व सेवायुक्त के बीच उत्पन्न विवादों के काल में काम के अवरोध को टालना और सौहार्द्र आपसी हल निकालने का प्रयत्न करना।

6— बीमारी, बेकारी, निर्बल, वृद्धावस्था तथा मृत्यु के समय सदस्यों के लिए सहायता प्राप्त करना।

7— दुर्घटना के समय सदस्यों के लिए क्षतिपूर्ति (विधान के अधीन क्षतिपूर्ति) प्राप्त करना।

8— नौकरी या उससे सम्बन्धित प्रकरणों में सदस्यों को वैधानिक सहायता देना।

9— तालाबन्दी या हड़ताल, जो संस्था की स्वीकृति द्वारा की गई हो, के समय सदस्यों को सहायता दिलाने का प्रयत्न करना।

10— उन श्रम संगठनों से जिनके उद्देश्य संस्था के सउद्देश्य हों, के साथ सहकार्य करना तथा संस्था को उससे सम्बद्ध करना।

11— भारतीय व्यवसायिक संघ विधान में निहित नीति के अनुसार श्रमिक वर्ग की सहायता करना।

12— साधारण सदस्यों के सामाजिक, आर्थिक, पारस्परिक तथा राजनैतिक जीवन में सुधार करने का प्रयत्न करना।

13— औद्योगिक विवादों में श्रमिकों का प्रतिनिधित्व करना।

14— सदस्यों को शिक्षित करने विशेष कर ट्रेड यूनियन शिक्षा दिलाने हेतु केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड या अन्य शासकीय या अशासकीय संस्थानों से आर्थिक अनुदान लेकर श्रमिक बाहुल्य क्षेत्रों में तथा मुख्य कार्यालय में समय-समय पर शिक्षण कार्यक्रम चलाना।

सामान्य निधि का उपयोग

3— भारतीय व्यवसायिक संघ विधान सन् 1926 की धारा 15 के अनुसार सामान्य निधि का उपयोग निम्नांकित मदों पर ही किया जा सकेगा :—

क— संस्था के पदाधिकारियों के वेतन, भत्ता तथा अन्य खर्च के भुगतान हेतु।

ख— संस्था संचालन का व्यय, जिसमें संस्था के हिसाब की जांच का भी व्यय सम्मिलित है।

ग— ट्रेड यूनियन के नाते संस्था के अधिकार प्राप्त करने या सुरक्षित रखने हेतु अथवा संस्था के किसी सदस्य के अपने सेवायोजक के साथ जो सम्बन्ध हो उनसे निर्माण होने वाले अधिकार प्राप्त करने या सुरक्षित रखने के हेतु किसी ऐसी वैधानिक कार्यवाही को चलाना या उससे बचाव करना कि जिसमें एक पक्ष, संस्था या उसका कोई सदस्य हो।

घ— संस्था या उसके किसी सदस्य की ओर से किसी औद्योगिक विवाद को चलाना।

ङ— सदस्यों की औद्योगिक विवादों से होने वाली हानि की क्षतिपूर्ति ।

च — सदस्यों या उनके आश्रितों की मृत्यु तथा वृद्धावस्था, बीमारी, दुर्घटना और बेकारी की अवस्था में सहायता ।

छ — सदस्यों के जीवन–बीमे या बीमारी, दुर्घटना या बेकारी के बीमे उतारना या ऐसे बीमे के अधीन उन्हें लाना ।

ज — ट्रेड यूनियन के दायित्व को उठाना, सामान्य निधि का उपयोग जिन उद्देश्यों के लिए निहित है उनकी पूर्ति के हेतु सर्वसाधारण श्रमिकों को कल्याणप्रद किसी कार्य में अनुदान देना । परन्तु किसी भी आर्थिक वर्ष में किसी भी समय इस मद का व्यय उस समय तक उस वर्ष में प्राप्त सामान्य निधि की आमदनी व वर्ष के प्रारम्भ में सामान्य निधि के खाते में जमा कुल रकम की एक चौथाई से अधिक नहीं होगा ।

झ — सदस्यों या उनके आश्रितों के लिए शैक्षणिक सामाजिक और धार्मिक लाभों की व्यवस्था, जिसमें मृत सदस्यों के लिए मृत क्रिया या धार्मिक क्रिया के खर्च का भी समावेश होगा ।

ञ— मुख्यत: सेवायोजक तथा सेवायुक्त के अपने प्रश्नों की चर्चा के हेतु प्रकाशित नियतकालिक-पत्र चालू रखना ।

ट— शासन द्वारा राजपत्र में विज्ञप्ति किसी अन्य उद्दिष्ट के हेतु विज्ञप्ति के अन्तर्भूत प्रतिबन्धों के अनुसार, यदि कोई हो, कार्य करना ।

सदस्यता पुस्तिका

4— संस्था में एक सदस्यों की पुस्तिका रखी जावेगी, जिसमें सदस्यों के नाम (पिता के नाम सहित) आयु, निवास स्थान, काम करने का स्थान, पाली खाता या विभाग, जमा चन्दा रसीद क्रमांक आदि का उल्लेख होगा ।

5— उपयुक्त पुस्तिका संस्था के मुख्य कार्यालय में छुट्टी के दिन को छोड़कर संघ के कार्यालय में किसी भी अधिकारी या सदस्य के निरीक्षण हेतु रखी जावेगी ।

साधारण सदस्यता

6— मध्य प्रदेश के कृषि उद्योग एवं वन विभागों और मंडलों में काम करने वाला

ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसे संस्था का विधान, नियम तथा उपनियम मान्य है, वार्षिक चन्दा देकर सदस्य बन सकता है।

सम्माननीय सदस्यों की सदस्यता

7— जो व्यक्ति साधारण सदस्य होने की पात्रता नहीं रखता हो, उसे संस्था में सम्माननीय सदस्य की स्थिति में प्रवेश दिया जा सकता है। और य सम्माननीय सदस्यता के काल में प्रबन्धकारिणी समिति में भी चुना या लिया जा सकता है। किन्तु ऐसे सदस्यों की संख्या भारतीय व्यवसायिक संघ अधिनियम की धारा 22 के अनुसार आधे से कभी भी अधिक नहीं होगी।

सदस्यता शुल्क

8— संस्था की सदस्यता प्राप्ति के लिए सदस्यता शुल्क 3 रुपये प्रतिवर्ष होगी। सदस्यता प्राप्ति के लिए कोई प्रवेश शुल्क नहीं होगा।

सदस्यों को नियमों में सुझाये गये लाभ प्राप्त करने का अधिकार

9— अ— कोई भी सदस्य संस्था द्वारा सदस्यों को दिये गये लाभ को पाने का अधिकारी कम से कम पांच माह तक संस्था का सदस्य रहते और पूर्ण चन्दा चुकाने तक हो सकेगा।

ब— वह सदस्य जिस पर संस्था का बकाया चन्दा अथवा किसी प्रकार का लेना शेष है, जब तक की उसका भुगतान पूरा नहीं कर देता और दो माह की अवधि नहीं बीत जाती, संस्था द्वारा संचालित किसी भी लाभ को पाने का भागी नहीं होगा।

स— यदि संस्था के सदस्य प्रबंधकारिणी समिति का अनुमोदन एवं स्वीकृति लिये बिना किसी हड़ताल पर जायेंगे तो वे संस्था द्वारा संचालित किसी भी लाभ को पाने के भागीदार नही होंगे।

अर्थ दण्ड एवं उसकी वसूली

10— किसी भी सदस्य की सदस्यता संस्था का सदस्यता शुल्क (वार्षिक चन्दा न देने की स्थिति में तीन माह मे समाप्त हो जावेगी बाद में कुल देय चन्दा देने पर इसकी सदस्यता निरन्तर (जारी) की जा सकेगी।

साधारण सभा

11— संस्था के सम्पूर्ण सदस्यों की वार्षिक सभा फरवरी अथवा मार्च मास में बुलाई जावेगी । जिसमें निम्नलिखित कार्यवाही होगी ।

अ— संस्था द्वारा किये गये कार्य का प्रतिवेदन [रिपोर्ट] तथा जांच किये गये हिसाब को मान्य करना ।

ब— नवीन वर्ष के लिए केन्द्रीय पदाधिकारी तथा प्रबन्धकारिणी के सदस्य चुनना ।

स— अन्य कार्यवाही जो सभापति के अनुमोदन से हो सभा में प्रस्तुत करना ।

12— अध्यक्ष संस्था के सदस्यों की साधारण सभा को जब वह आवश्यक समझें तब बुला सकता है और ऐसी भांति अध्यक्ष को संस्था की साधारण सभा बीस प्रतिशत सदस्यों के लिखित मांग करने पर प्रार्थना पत्र प्राप्ति के बीस दिन की अवधि में बुलाना होगी ।

13— सदस्यों को साधारण सभा की सूचना कम से कम पन्द्रह दिवस पूर्व देना होगी ।

14— साधारण सभा के लिये सम्पूर्ण सदस्य संख्या के एक तिहाई सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक (कोरम) मानी जावेगी । आवश्यक उपस्थिति के अभाव के कारण स्तगित की गई सभा के लिये दूसरी बैठक में उपस्थिति का आवश्यक प्रतिबन्ध नही रहेगा ।

संस्था के अधिकारी व उनकी नियुक्ति

15— अ— संस्था के पदाधिकारियों में (1) अध्यक्ष एक (2) कार्यवाहक अध्यक्ष एक (3) अधिकाधिक सात उपाध्यक्ष (4) महा सचिव एक (5) अधिकाधिक सचिव—सात (6) कार्यालय सचिव एक एवं कोषाध्यक्ष एक होगा । वह सब संस्था की वार्षिक साधारण सभा में चुने जावेंगे दोबारा चुनाव में ग्राहय होंगे ।

ब— राज्य के हर जिला को एक इकाई मानकर विभिन्न इकाईयों के

श्रमिकों द्वारा संस्था की सदस्यता ग्राह्य करने के पश्चात उन इकाईयों का कार्य संपादन हेतु सदस्यों की एक जिला समिति चुनी जावेगी। जिसमें जिले के ससदस्यों द्वारा जिला समिति के लिये निम्नांकित पदाधिकारी एवं सदस्य चुने जावेगें (1) जिलाअध्यक्ष—एक (2) जिला उपाध्यक्ष - तीन (3) जिला सचिव—एक (4) जिला सह-सचिव—दो और समिति के अधिकाधिक 18 सदस्य। इस प्रकार जिला समिति में पदाधिकारी सहित अधिकाधिक कुल 25 सदस्य होगे।

संस्था का प्रबंध

16— प्रबन्धकारिणी समिति— भारतीय व्यावसायिक संघ अधिनियम सन् 1926 की धारा 21 को सम्मुख रखते हुये सस्था का आर्थिक तथा सम्पूर्ण अन्य कार्य भार प्रबन्धकारिणी समिति द्वारा चलाया जावेगा, जिसमें साधारण वार्षिक सभा में चुने हुए सदस्यों एवं अधिकारीगण होंगे। प्रबन्धकारिणी की कुल सदस्यों की सख्या 51 (इक्कावन) तक होगी।

प्रबन्धकारिणी समिति की सभाएं

17— प्रबन्धकारिणी समिति प्रत्येक तीन माह में कम से कम एक बार किसी भी निश्चित दिन और स्थान पर जो कि महासचिव या अध्यक्ष द्वारा तय होगा, बैठक रखेगी।

18— प्रबन्धकारिणी समिति के कुल सदस्यों की एक तिहाई उपस्थिति कथि बैठक के लिए आवश्यक (कोरम) मानी जावेगी, स्थगित की गई बैठक के लिए आवश्यक उपस्थिति(कोरम) का प्रतिबन्ध नही होगा।

19— प्रबन्धकारिणी समिति की बैठक की सूचना कम से कम 15 दिन पूर्व देना आवश्यक है।

पदाधिकारियों के कर्तव्य

20— अध्यक्ष एवं कार्यवाहक अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष अध्यक्ष संस्था की तथा प्रबंध कारिणी की समस्त सभाओं को सभापतित्व करेगा।] सभाओं में व्यवस्था बनाये रखना, सभा के सम्पूर्ण कार्यवाही लेखा (मिनिट्स) पर हस्ताक्षर

करना और समान मत प्रवर्तन होने पर ही अपना मत देना अध्यक्ष का कर्तव्य है। आवश्यकता के समय अध्यक्ष को यह अधिकार होगा कि वह किसी भी संस्थान या प्रबन्धकारिणी समिति की विशेष सभा बुलाये। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में कार्यवाहक अध्यक्ष और उनकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्षों में से कोई भी एक सभा में अध्यक्ष का कार्य संचालन करेगा।

२१ महा-सचिव :

महा सचिव, संस्था तथा प्रबन्धकारिणी समिति की समस्त सभाओं की कार्यवाही का लेखा (मिनिट्स) लिखेगा। सम्पूर्ण पत्र व्यवहार करेगा। सभाओं को निमन्त्रित करेगा। सम्पूर्ण हिसाब रखेगा सदस्यों को साधारण सभा की सूचना एजेण्डे सहित व्यक्तिगत हस्ताक्षर प्राप्त कर नोटिस कार्ड पर चस्पा कर देगा। संस्था के कारोबार की पूर्णतः देख—रेख और आय व्यय की रसीदों सहित सही जांच रखेगा। वह वार्षिक आय-व्यय का लेखा बनायेगा जिसमें आय—व्यय का प्रत्येक अंक सही दशा में दर्शाया गया हो। वह भारतीय व्यवसायिक संघ अधिनियम 1926 के अन्तर्गत रजिस्ट्रार आफ ट्रेड यूनियन मध्यप्रदेश को भेजे जाने वाले आर्थिक आय-व्यय पत्रक तथा अन्य सूचनादि भेजने के लिए समय—समय पर उत्तर दायी होगा इस कार्य संचालन हेतु आवश्यक हो तो महासचिव को यह अधिकार होगा कि वह अध्यक्ष के परामर्श से तथा प्रबन्धकारिणी समिति के अनुमोदन से कोई भी सहायक लिपिक (क्लर्क) लेखन संबंधी कार्य हेतु नियुक्त कर ले। ऐसे सम्पूर्ण सहायक महा सचिव के नियंत्रण में कार्य सम्पादन करेंगे।

२२— सचिव गण :—

सचिव गण महासचिव को सामान्य रूप से उसके कार्य में सहायता देंगे। उनमें कोई एक महासचिव की अनुपस्थिति में उनका कार्यभार संभा लेगा।

ब) जिला समिति के पदाधिकारी में जिलाध्यक्ष व जिला सचिव बाहरी सम्माननीय सदस्य हो सकते हैं। बाकी संस्था का ही व्यक्ति होंगे। यह अपनी इकाई के सदस्यों का चन्दा एकत्रित कर संस्था के पंजीकृत कार्यालय को भेजेंगे। वह अपने द्वारा किये गये खर्चों का हिसाब भी समय—समय पर पंजीकृत कार्यालय भेजेंगे। सदस्यों की इकाई स्तर की समस्याओं को

सुलझाने का प्रयास करेंगे । वह सदस्यों के हितों का संरक्षण संस्था के विधान के अनुसार करेंगे । उनका मत उस इकाई के समस्त सदस्यों का मत माना जावेगा । वह अपने द्वारा किये गये कार्यों की सूचना समय-समय पर पंजीकृत कार्यालय को भेजेंगे ।

ब) कार्यालय सचिव संस्था के मुख्य कार्यालय में अध्यक्ष तथा महासचिव के निर्देशन में कार्य करेंगे एवं कार्यालय के समस्त कागजात व दस्तावेज व्यवस्थित रखेंगे । कार्यालय में कर्मचारियों की शिकायत एवं उद्योग से आई सूचनाओं से अध्यक्ष व महासचिव को अवगत करायेंगे ।

२३— **कोषाध्यक्ष :—**

कोषाध्यक्ष संस्था में समय-समय पर प्राप्त होने वाले धन को बैंक में सुरक्षित रखने अथवा आवश्यकता के समय संस्था को देने के लिये उत्तरदायी होगा । वह प्रबन्धकारिणी समिति द्वारा स्वीकृत किये गये सम्पूर्ण व्यय का भुगतान करेगा । अध्यक्ष अथवा महासचिव के हस्ताक्षर लिये बिना कोषाध्यक्ष को बैंक से पैसा निकालने का अधिकार नहीं होगा ।

रिक्त स्थानों की पूर्ति एवं पदच्युति तथा सदस्यता अन्त

24— यदि प्रबन्धकारिणी के कार्यकर्ता अथवा संस्था के पदाधिकारी का कोई पद त्यागपत्र, तबादला मृत्यु आदि के कारण रिक्त हुआ हो, तो वह प्रबन्धकारिणी समिति द्वारा मनोनयन करके (को—आपान द्वारा) भरा जावेगा ।

25— संस्था का कोई भी साधारण सदस्य, कार्यकर्ता, अधिकारी या प्रबन्धकारिणी समिति या जिला समिति का सदस्य संस्था का धोखा देने या उसके हित के विरुद्ध कार्य करने के अपराध में प्रबन्धकारिणी समिति के तीन चौथाई बहुमत से निकाला जा सकता है । किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि ऐसे अधिकारी या सदस्य को उसके बर्ताव के विषय में स्पष्टीकरण देने का पूर्ण अवसर दिया जाना चाहिए । प्रबन्धकारिणी समिति का अनियमितता या अनुशासनहीनता पाये जाने पर किसी भी जिला समिति को भंग कराने तथा नया चुनाव कराने का अधिकार रहेगा ।

विधान में परिवर्तन

26— विधान में कोई भी संशोधन परिवर्तन, घटबढ़ किसी भी समय साधारण सभा में उपस्थिति सदस्यों के बहुमत से किया जा सकता है। जबकि किये जाने वाले परिवर्तन की सूचना सदस्यों को कम से कम एक माह पूर्व दी गई हो। भारतीय व्यवसायिक संघ अधिनिमिय 1926 के अन्तर्गत श्री रजिस्ट्रार आफ ट्रेड यूनियन महोदय द्वारा समय-समय पर विधान में संशोधन या परिवर्तन सुझाये जावेंगे उनके अनुसार विधान में परिवर्तन अविलम्ब किया जायेगा।

कोष सुरक्षित रखने की व्यवस्था

27— सदस्यों से प्राप्त चन्दा, दान आदि से प्राप्त कुल निधि का संस्था की सामान्य निधि में समावेश होगा। प्रबन्धकारिणी समिति द्वारा अनुमोदित बैंक या बैंकों में संस्था के नाम से यह धनराशि जमा की जायेगी। जिसका व्यवहार कोषाध्यक्ष, अध्यक्ष या महा सचिव में में कोई दो व्यक्ति करेंगे। महासचिव अथवा कोषाध्यक्ष अपने पास हाथ खर्च के लिये 150/- रुपये (एक सौ पचास रुपये) से अधिक निधि नहीं रख सकेंगे।

28— संस्था, हिसाब वार्षिक परीक्षण योग्य आडिटरों द्वारा कराने के लिये जिन्हें प्रबन्धकारिणी समिति ने भारतीय व्यवसायिक संघ अधिनियम के अधीन बने मध्य प्रदेश ट्रेड यूनियन रेग्यूलेशंस, सन् 1961 के रेग्युलेशन क्रमांक—18 के अनुसार नियुक्त किया हो व्यवस्था करेगी। हिसाब के लिये संस्था के आर्थिक वर्ष 1 जनवरी से 31 दिसम्बर तक का रहेगा व भारतीय व्यवसायिक सघ अधिनियम सन् 1926 की धारा 28 के अंतर्गत वार्षिक विवरण पत्र निर्धारित फार्म में आय व्यय परीक्षकों के हस्ताक्षर-युक्त पंजीयक व्यवसायिक संघ की ओर प्रतिवर्ष 31 मार्च के पूर्व भेजा जावेगा।

हिसाब की पुस्तकों का निरीक्षण

29— संस्था के हिसाब की पुस्तकों का कोई भी सदस्य या पदाधिकारी के निरीक्षण हेतु मुख्य कार्यालय में छुट्टियों के दिन छोड़कर कार्यालय के कार्यकाल में उपलब्ध रहेगा।

संस्था का विघटन

30— संस्था का विघटन उपस्थित सदस्यों के तीन चौथाई बहुमत से इसी हेतु बुलाई गई साधारण सभा द्वारा किया जा सकता है जबकि ऐसी सभा में कुल मतदान उस समय संस्था में प्रविष्ट सम्पूर्ण सदस्य संख्या के दो तिहाई से कम न हो। सम्पूर्ण दायित्व का चुकारा करने के पश्चात शेष विधि का निराकरण सभा के विघटन के निर्णयानुसार किया जावेगा।

31— संस्था अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिये जब तक की संसधन एवं पच निर्णय के मार्ग उपलब्ध है यूनियन हड़ताल के लिए मंजूरी नहीं देगी। वह उस समय तक हड़ताल नहीं करेगी जब तक के हड़ताल के लिए मतदान न किया गया हो। और अधिकांश सदस्यों ने हड़ताल के पक्ष में मत न दिया हो।

32— यह संस्था अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस (एटक) से सदैव सम्बद्ध रहेगी।

※

खेतिहार एवं वन मजदूरों के लिए प्रमुख कानूनी प्रावधान, जिस पर अमल करना है।

वर्ष 1981 की जनगणना के आधार पर राज्य में खेतिहर मजदूरों एवं वन मजदूरों की कुल संख्या लगभग 2 करोड़ 70 हजार 564 थी। इस असंगठित श्रमिकों के हित संरक्षण के लिए विभिन्न श्रम कानून बनाये गये हैं। इनमें से प्रमुख हैं।

1— न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948

2— ठेका श्रमिक विनियमन एवं समाप्ति (अधिनियम) 1970

3— समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976

4— अन्तराज्यीय प्रवासी कर्मकार अधिनियम, 1976

5— बंधक श्रमिक प्रथा (समाप्ति) अधिनियम, 1976

6— इन्दिरा कृषि श्रमिक दुर्घटना, क्षति पूर्ति योजना

7— जवाहर रोजगार योजना।

१— न्यूनतम वेतन अधिनियम :—

विभिन्न अनुसूचित नियोजनों में न्यूनतम वेतन का निर्धारण एवं समय-समय पर उसका पुनरीक्षण करने का प्रावधान है।

वर्तमान में इस अधिनियम के अन्तर्गत कुल 38 विभिन्न प्रकार के नियोजन सम्मिलित किये गये। इन 38 नियोजनों में से 36 नियोजनों में न्यूनतम वेतन दरों का निर्धारण किया गया है। लघु उद्योगों में नियोजन को उक्त सूची में निरस्त किया

जा रहा है। जबकि वन मजदूरों का शोषण वन उपज के माध्यम से ही होता है।

"जवाहर रोजगार योजना" के अन्तर्गत भी ग्रामीण श्रमिकों को न्यूनतम वेतन नहीं मिलता है। राज्य शासन द्वारा कृषि नियोजन में निर्धारित न्यूनतम दरों को उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से संबद्ध किया गया है। जिनके कारण निर्धारित न्यूनतम वेतन दरों को अतिरिक्त विशेष भत्ते का लाभ भी कृषि मजदूर को उपलब्ध होना चाहिए। लेकिन इस पर अमल नहीं होता।

राज्य में दिनांक 1-1-1982 से पुनरीक्षित न्यूनतम वेतन दर

		7—00	किया गया
1-7-1982	से	7—29	पैसे
1-1-1983	से	7—56	"
1-7-1983	से	7—95	"
1-1-1984	से	8—60	"
1-7-1984	से	8—74	"
1-1-1985	से	9—13	"
1-7-1985	से	9—19	"
1-1-1986	से	9—64	"
1-7-1986	से	9—92	"
1-1-1987	से	10—49	"
26-6-1987	से	11—00	"
1-10-1089	से	16—00	"
1-4-1990	से	17— 3	"
1-10-1990	से	16—47	"
1-4-1991	से	18—43	"
और 1-10-1991	से	20—27	" वर्तमान में लागू है।

सरकार द्वारा खेतिहार मजदूरों को विभिन्न श्रम कानूनों का ज्ञान एवं रूचि निर्माण करने के प्रयास प्रचार माध्यमों से अधिक से अधिक किये जाने की आवश्यकता पर जोर दिया गया है लेकिन सभी प्रयास कागजों और फाइलों पर ही हैं।

केन्द्रीय शासन ने ग्रामीण असंगठित मजदूरों के लिए मानसेवी संगठनों के जरिये लाखों, करोड़ों रुपये खर्च किये हैं। योजनाएं तैयार की गई और मध्य प्रदेश शासन ने योजना के अन्तर्गत 100 विकास खंडों के लिए मानसेवी संगठक नियुक्त किये हैं। लेकिन उन संगठकों में निहित स्वार्थी तत्व, सामंती प्रवृत्ति वाले, पटेलों, सरपंचों, तथा कथित बुद्धिजीवियों के होने के कारण जागृति की अपेक्षा मजदूरों पर नये ढंग से शोषण का पंजा कसा गया है।

कृषि मजदूरों के लिए न्यूनतम वेतन (मजदूरी) को लागू कराने के लिए विभिन्न शासकीय कर्मचारियों को अधिकार दिये गये हैं। जैसे बी. डी. ओ., सहायक भू-अभिलेख, समस्त नायब तहसीलदार, समस्त पंचायत निरीक्षक, समस्त मंडल संगठक, जनजाति कल्याण विभाग, समस्त ग्राम पंचायतें, समस्त बीस सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम विकास खंड स्तरीय समीतियां, इत्यादि।

न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 को मध्यप्रदेश राज्य में वर्ष 1976 में संशोधित कर उक्त अधिनियम की धारा 20 (3) के अंतर्गत सक्षम अधिकारी के रूप में राजस्व अधिकारी को भी किये जाने का प्रावधान किया गया है। तदनुसार समस्त उपखंड अधिकारियों को अधिनियम के अंतर्गत सक्षम अधिकारी नियुक्त कर उन्हें खेतिहर मजदूरों से सम्बन्धित विवादों को निर्णित (निपटारा) करने के अधिकार प्रदान किये गये हैं लेकिन खेतिहर मजदूरों के प्रकरण उनके न्यायालयों में अपवाद स्वरूप ही होगें।

न्यूनतम वेतन का निर्धारण गरीबी रेखा की धारणा को सम्मुख रखकर किया जाता है। इसके अतिरिक्त विशेष भत्ते का प्रावधान किया गया। जो उपभोक्ता मूल्य सुचकांक से संबद्ध है।

वर्तमान में विशेष भत्ते का दर एक रुपये प्रति बिन्दु निर्धारित है। सिद्धांत रूप में विशेष भत्ते का उद्देश्य बढ़े हुए मूल्यों के कारण वेतन के अन्तर को कम करना है उसका लक्ष्य गरीबी रेखा से ऊपर लाने का है। लेकिन कुछ समय पहले किए गए एक सर्वेक्षण से पता चलता है कि भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में 61 /. लोग (परिवार) गरीबी रेखा के नीचे जीते हैं। जिनमें 1987 के सरकारी हिसाब से निर्धारित गरीबी रेखा का मापदण्ड वार्षिक पारिवारिक आय 6500 रुपए से भी कम था। अब वह मापदण्ड भारी मुद्रा स्फीति (मुद्रा के प्रसार से) के कारण बदल कर वर्तमान बाजार भाव पर 9000 रुपए वार्षिक प्रति परिवार हो गया है। अब तो सन् 1991-92 का केन्द्रीय बजट आने के बाद गरीबी रेखा के नीचे जीने वालों की संख्या और बढ़ गई है। क्योंकि म.प्र. में सन् 1687-88 के हिसाब के अनुसार गरीबी रेखा के नीचे रहने वालों की संख्या 2 करोड़ 24 लाख था।

मुद्रा का फैलाव अधिक होने से महंगाई बढ़ने की दर के अनुरूप ग्रामीण खेतिहर, वन मजदूरों के न्यूनतम मजदूरी में वृद्धि नहीं होती है। गरीबी रेखा से ऊपर उठाने के लिए 1989 में एक केन्द्रीय आयोग गठित किया था जिसकी रिपोर्ट 31 जुलाई 91 को घोषित की गई और न्यूनतम मजदूरी 20 रुपए प्रतिदिन निर्धारित करने की सिफारिश की गई थी।

म.प्र. में 1 अक्टूबर 91 से न्यूनतम मजदूरी 20 रु. 27 पैसे तै कर दी गई है। पर इस पर अमल नहीं हो रहा है। ग्रामीण श्रमिकों को 5-6 माह ही वर्ष में काम मिलता है। खेत एवं वन मजदूरों के पास खर्च करने की आय (आमदनी) न होने के कारण आधा पेट खाना खाकर और अन्य जरूरी चीजों से वंचित रहकर जीवन जुजारना पड़ता है।

मध्यप्रदेश में महगाई की दर अधिक है। उसके अनुसार खेतिहर मजदूरों के लिए केरल राज्य जैसा कानून नहीं है। केरल में कृषि मजदूरों के लिए प्राव्हीडेन्ट फड बोनस, स्वास्थ, साप्ताहिक छुट्टी (वेतन सहित) महिला मजदूरों को प्रसूतिक लाभ, समान वेतन, अकस्मिक अवकाश आदि शामिल है।

यदि खेत मजदूरों को न्याय दिलाना है तो केन्द्र सरकार को केरल राज्य के कानून के समान (अनुरूप) एक व्यापक केन्द्रीय कानून बनाना पड़ेगा।

भारत की कुल आबादी के अनुपात में आदिवासियों की संख्या 25%. मध्यप्रदेश में है। अनुसूचित जाति एवं जनजाति बाहुल्य इस प्रांत में दूसरे राज्यों की अपेक्षा हालत अधिक दयनीय है। इसका मुख्य कारण है सामंती शोषण, सामाजिक विषमता तथा वर्ग पर आधारित समाज व्यवस्था। इसलिए न्यूनतम वेतन लागू करने की मांग करने पर मजदूरों से दासों जैसा व्यवहार किया जाता है।

आज देश के अन्दर पूंजीवादी तरीके से कृषि उद्योग का काम शुरू हो गया है। जिससे खेत मजदूरों की संख्या बढ़ेगी। 10 एकड़ तक के किसान भी बड़े भू-स्वामियों के मुकाबले में टिक नहीं पायेंगे। छोटे किसान अपनी जमीनें फार्म मालिकों को बेचकर नगरों की ओर पलायन करने को मजबूर होंगे।

कृषि में बढ़े पैमाने पर नई पद्धति से पैदावार के औजार पंजीकृत होने से भी खेतिहर मजदूरों के लिए काम के अवसर कम होते जा रहे हैं। बढ़े पैमाने पर खेतिहर मजदूरों का गांव की अपेक्षा ज्यादा मजदूरी मिलने के कारण शहर की ओर पलायन कर रहे है।

इस समस्या का समाधान के लिए एक मात्र उपाय है मूलभूमी सुधारों पर

लड़ाई से अमल, राजा, महराजाओं की बेनामी जमीनों का अधिग्रहण, सीलिंग की जमीन का वितरण और अधिशेष जमीन पर अधिग्रहण, वनभूमि के पट्टे, हजारों एकड़ रकवा जो बड़े उद्योगपति उद्योग लगाने के नाम पर सरकारी जमीनें दबाये बैठे हैं। उनकी जमीन अधिग्रहीत कर खेतिहर मजदूरों के बीच बंटन करना और सहकारी समीतियों के द्वारा खेती कराना।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली (व्यवस्था) को मजबूत कर अनुसूचित जाति एवं जन-जातियों के लोगों की समितियों के द्वारा चलाना एवं खेतिहर मजदूरों के प्रतिनिधियों की देख-रेख में संचालित करना। न्यूनतम वेतन लागू करने के लिए उनको ट्रेड यूनियन अधिकार देना सिंचाई के साधनों के अभावों को दूर करना ग्रामीण कुटीर उद्योग सहकारी समितियों द्वारा संचालित करना, आदिवासियों के विकास के लिए वन मजदूरों की रोजगार की गारंटी देना आदि योजनाएं बनाकर न्यूनतम वेतन व अन्य कानूनों का पालन किया जाये तब ही खेतिहर एवं वन मजदूरों की दशा सुधारी जा सकती है।

२) ठेका श्रमिक (विनियमन एवं समाप्ति) अधिनियम १९७० :—

इस अधिनियम के अनुसार कोई भी ठेकेदार अगर 7 या उससे अधिक मजदूर ठेके में रखते हैं। तो शासन के श्रम कार्यालय से लाईसेन्स लेना होगा। ऐसे लाईसेन्स धारी ठेकेदार उन मजदूरों का वही मजदूरी देनी होगी जिस दर से मुख्य नियोक्ता (जिसने ठेके पर काम लिया है) अपने मजदूरों को उसी काम के लिए मजदूरी का भुगतान करता है। साथ ही प्रत्येक मजदूर के नाम पर श्रम कार्यालय में नगद जमानत राशि (सेक्युर्टी) कम से कम दो हजार रुपए जमा करना होगा। तथा पहचान पत्र भी देना होगा।

यदि ठेकेदार मजदूर को निर्धारित मजदूरी से कम देता है तो मजदूर श्रम अधिकारी के पास या न्यायालय में कम मजदूरी भुगतान की गई राशि के अदायगी के लिए मुख्य नियोक्ता जिम्मेदार रहेगें। वह भी नहीं देने पर ठेका मजदूर श्रम अधिकारी के पास या न्यायालय में अर्जी तुरन्त पेश कर सकते हैं। श्रम (विभाग) अधिकारी या न्यायालय जमानत की राशि जप्त कर मजदूर को भुगतान कर सकता है।

इस कानून में यह भी प्रावधान है कि ठेकेदार को मुख्य नियोक्ता द्वारा दी जा रही अन्य सभी सुविधाएं अपने मजदूरो को देना होगा। साथ में एक महत्वपूर्ण प्रावधान यह भी है कि लगातार चलने वाले एवं स्थायी काम में ठेकेदारी प्रथा नहीं चलने दिया जायेगा। ऐसी स्थिति में उन मजदूरों को मुख्य नियोक्ता द्वारा स्थायी मजदूर के रूप में रखना होगा।

३) समान पारिश्रमिक अधिनियम, १९७६ :—

इस कानून के अनुसार किसी भी काम के लिए नियुक्त पुरुष व महिला मजदूर को समान मजदूरी का भुगतान करना होगा (देना होगी)। आम तौर पर महिला व बच्चों से अधिक काम लिया जाता है किन्तु उन्हें पुरुष की तुलना में कम मजदूरी दिया जाता है। जबकि मजदूरी भुगतान का यह सिद्धांत है कि समान काम के लिए समान वेतन दिया जाय।

(४) बंधुआ मजदूर प्रथा समाप्ति (उन्मूलन) अधिनियम १९७६

जब एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के लिए एक निश्चित समय के लिए एक निश्चित अथवा अनिश्चित समय के लिए बिना मजदूरी लिए अथवा केवल सामान्य मजदूरी लेकर, किसी पहले किये जबानी या लिखित समझौते के अधीन, जो किसी रकम या अन्य सामग्री पेशगी लिए जाने के एवज में काम करने के लिए मजबूर होता है तो उसे बंधुआ मजदूर कहा जाता है।

जमींदार और धनी किसान, ठेकेदार द्वारा पहले दी गई पेशगी रकम या अन्य मनगढ़त खर्च, जो मजदूर के ऊपर उनके द्वारा खर्च किये गये हैं, बताकर उसकी मजदूरी से भारी रकम काटकर वसूल करते हैं। धोखेबाजी, डराना, धमकाना और पेशगी दी गई रकम पर भारी ब्याज काटना, इन सब कारनामों से मजदूर को कभी न खत्म होने वाले कर्ज के नीचे दबाकर रखा जाता है।

अधिनियम के अंतर्गत निम्नलिखित को अपराध निर्धारित किया गया है :—

1— किसी आदमी को बन्धुआ मजदूर रहने के लिए बाध्य करना।

2— बन्धुआ मजदूर रखने के लिये किसी मसौदे के तहत कर्ज देना।

3— किसी प्रथा, परम्परा, मसौदे या समझौते के तहत मजदूर या उसके परिवार के किसी सदस्य को बन्धुआ मजदूर प्रथा के आधीन किसी काम करने के लिए मजबूर करना।

4— किसी बन्धुआ ऋण, जो खारिज कर दिया गया है, के भुगतान में किसी रकम को लेना।

5— बन्धुआ ऋण की उगाही के लिए हड़पी गई किसी जायदाद को बन्धुआ मजदूर को वापसी में चूक होना।

6— किसी आदमी को ऊपर बताये अपराधों में से किसी को भी करने के लिए बढ़ावा देना या उकसाना।

ऊपर लिखा गया प्रत्येक अपराध गम्भीर अपराध माना जाता है। और इसलिए इनके अपराधी को बिना वारन्ट के पुलिस अधिकारी द्वारा गिरफ्तार किया जा सकता है। बाद में उसे मुकदमें की कार्यवाही तक जमानत पर रिहा किया जा सकता है। धारा (22)।

मुकदमे की सुनवाई करने का अधिकार किसे है ?

आमतौर पर कलेक्टर इस अधिनियम के अधीन हुए मुकदमों की सुनवाई करते हैं।

ऊपर बताये गये प्रत्येक अपराध की सजा 3 वर्ष तक कैद तथा 2 हजार रुपयों तक जुर्माना है।

जिला कलेक्टर को यह भी अधिकार है कि वह अपने मातहत एक अधिकारी नियुक्त करें जिसे वह अपने सभी या कोई भी अधिकार और जिम्मेदारी सौंप सके। इस अधिकारी का यह काम है कि वह आजाद हुए बन्धुआ मजदूर की भलाई में बढ़ोत्तरी करके आर्थिक लाभ की प्राप्ति और सुरक्षा में वृद्धि करे ताकि बन्धुआ मजदूर फिर पुराने हालातों में न फंसे।

जायजाद वापिस कराने में चूक के अपराध की सजा 1 वर्ष तक की कैद और अधिक से अधिक 1000 रुपये तक जुर्माना या दोनों सजायें हो सकती हैं। जुर्माने की रकम में से उसके वसूल हो जाने पर आजाद हुए बन्धुआ मजदूर को 5 रु. प्रतिदिन के हिसाब से उन तमाम दिनों के लिए जिनमें उससे बन्धुआ मजदूरी कटाई गई थीं, या जितने दिन उसकी जायजाद उसे नहीं लौटाई गई थी। पैसा अदा किया जाता है।

सबूत पेश करने की जिम्मेदारी किसकी है ?

जब कभी कोई बंधुआ मजदूर यह दावा करते हैं कि कोई ऋण बन्धुआ ऋण है तो सबूत पेश करने की जिम्मेदारी कि यह ऋण बन्धुआ ऋण नहीं है। ऋण दाता याने बन्धुआ बनाने वाले (रखने वाले) की होगी।

बन्धुआ मजदूर को क्या कानूनी उपाय प्राप्त हैं ?

1— जिला कलेक्टर या उनके द्वारा नियुक्त अधिकारी को किसी स्थान पर बन्धुआ मजदूर प्रथा जारी रखने सम्बन्धी तथ्यों या हालातों की सूचना कोई भी व्यक्तिगत रूप से या यूनियन जैसे सदस्य के माध्यम से पहुँचाये। सूचना एक शपथ पत्र (एफीडेविट) के रूप में दी जा सकती है। और इसकी फोटो कापी भविष्य

में उपयोग के लिए रखी जा सकती है।

2— उच्च न्यायालय में अनुच्छेद 226 या सर्वोच्च न्यायालय के अनुच्छेद 32 के तहत मूलभूत अधिकारों को लागू करने के लिए हुक्मनामों की अर्जी (रिट पिटीशन) दे सकते हैं। राज्य सरकार, जिला कलेक्टर को प्रतिवादी बनाया जा सकता है।

3— क्षेत्र के श्रम अदालत में कानून सम्मत न्यूनतम मजदूरी न देने के विरुद्ध शिकायत करें।

4— नजदीक के पुलिस थाने में ऋण दाता द्वारा तंग किये जाने अथवा धमकी देने आदि के खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखवायें।

कौन लोग अदालती कार्रवाई करने के हकदार है ?

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एशियाई खेलों वाले मामले (ए. आई आर. 1982 एस. सी. 1473) में दिए गए निर्णय के अनुसार जब कभी कोई व्यक्ति या व्यक्तियों गरीब अथवा अयोग्यता की वजह से अदालत तक न्याय के लिए नहीं पहुंच सकते हैं तो कोई भी जन सेवा भावना से प्रेरित व्यक्ति अथवा संस्था, सही नीयत से काम करते हुये, अदालत को न्याय दिलवाने के लिए मात्र एक खत (15 पैसे का) लिखकर प्रार्थना कर सकते हैं। जिसे अदालत एक सही रिट पिटीशन के रूप में स्वीकार कर उस पर कार्यवाही करेगी।

इस प्रकार के जन हित के मुकदमों में न्यायालय आमतौर पर आवेदकों की न्यायालय फीस के भुगतान से छूट दे देता है और अगर जरूरी हो तो बन्धुआ मजदूर की पैरवी करने के लिये वकील प्रदान करता है।

बन्धुआ मजदूर का पुनर्वास

1— आजाद हुए बन्धुआ मजदूर को उसके वास स्थान से या रहने के लिए जो भी जगह ऋण दाता ने उसे दी थी उससे बाहर नहीं निकाला जा सकता है। [धारा (8)]।

2— रेहनदार जिसने बन्धुआ मजदूर की जायजाद बन्धक रखी हुई है तुरन्त उसको लौटाने के लिए बाध्य है। ऐसा न करने पर निर्धारित अधिकारी के समक्ष प्रार्थना पत्र देकर अपनी जायजाद हासिल करने का हकदार है। (धारा 7)

3— राज्य सरकार द्वारा बन्धुआ मजदूरों को आजाद होने के बाद आर्थिक व सामाजिक बहाली के लिए मदद जुटाया जाना है।

मध्यप्रदेश में बंधक मजदूरों के पुनर्वास कार्य पर अमल पूर्व में राज्य श्रम विभाग द्वारा किया जाता था। किन्तु सितम्बर 1986 से राज्य शासन द्वारा यह कार्य राजस्व विभाग को सौंपा गया है।

(५) जवाहर रोजगार योजना

राज्य शासन के कोई भी विभाग द्वारा कराये गये नये कार्यों में लगे मजदूरों को जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत वही न्यूनतम मजदूरी दिलाये जाने का प्रावधान है जो न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के द्वारा निर्धारित की गई है तथा महंगाई, मूल्य सूचकांक बढ़ाने पर समय समय पर बढ़ाया जाता है। जवाहर रोजगार योजना में लगे मजदूरों को अगर न्यूनतम मजदूरी नहीं दिया गया तो इसके विरुद्ध जिला कलेक्टर के पास शिकायत पत्र मजदूरों के नाम की सूची तथा कब से कब तक काम किया और कितनी राशि का भुगतान नहीं किया गया। इस विवरण के साथ आवेदन पत्र देना चाहिए।

सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार चाहे कोई भी योजना हो, जहां भी न्यूनतम मजदूरी का भुगतान नहीं होता वहां ऐसे मजदूरों को बन्धुआ मजदूर समझा जाना चाहिए और उसी ढंग से कार्यवाही करना चाहिए जैसे बन्धुआ मजदूरों के सम्बन्ध में प्रावधानों में है।

इन्दिरा कृषि श्रमिक दुर्घटना क्षतिपूर्ति योजना :-

इस योजना के अन्तर्गत कृषि मजदूरी के दुर्घटना में मृत्यु हो जाने पर अथवा एक से अधिक अंग की हानि होने पर वैधानिक रूप से प्राप्त होने वाली क्षतिपूर्ति धनराशि के अतिरिक्त रू. 2000/— एवं एक अंग भंग होने पर रू. 1000/— की सहायता राशि शासन द्वारा क्षतिपूर्ति के रूप में दी जाती है।

राज्य शासन का दावा हैं कि इस योजना के अन्तर्गत 1991—92 में जुलाई के अन्त तक 102 श्रमिको को रू. एक लाख 85 हजार की धनराशि क्षतिपूर्ति के रूप वितरित कर लाभान्वित किया गया है।

१९९१ म० प्र० में कुछ घोषित योजनाएं :-

म. प्र. के स्थापना दिवस पर राज्य सरकार ने गरीब एवं पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए पांच नई योजनाएं (पंच धारा) क्रियान्वित करने की घोषणा की है। इनमें कुछ योजनाए है जिस पर अमल होने से राज्य के खेत एवं वन मजदूर महिलाओं को लाभ मिल सकता है। यूनियन कार्यकर्त्ताओं को इन योजनाओं की भी

जानकारी होना चाहिए ताकि वे अपने क्षेत्रों में उस पर अमल हेतु प्रयास कर सके।

१— वात्सल्य योजना :-

भूमिहीन श्रमिक परिवारों की महिलाओं को 19 वर्ष की आयु और तीन वर्ष के अन्तराल पर प्रसव होने की स्थिति में प्रथम दो प्रसवों पर मातृत्व अवकाश और एक माह के दैनिक परिश्रमिक तुल्य 500 रू. तक की राशि अनुदान स्वरूप मिल सकेगी, बशर्ते गर्भवती महिला को टीकाकरण तथा प्रसव पूर्व परीक्षण की सुविधा के लाभ प्राप्त की हो। स्वास्थ्य सेविका को ऐसी 5 महिलाओं के प्रसव के बाद 50 रू. प्रति प्रसव प्रोत्साहन राशि देने की व्यवस्था भी की गई है। इस योजना पर प्रतिवर्ष 11 करोड़ रू. खर्च होने का अनुमान लगाया गया है।

कल्प वृक्ष योजना :—

आदिवासी तथा हरिजन महिलाओं को बेहतर रोजगार उपलब्ध कराने के लिए रेशम के कीड़े उत्पादित करने हेतु यह योजना लागू की गई है। इस योजना को बिलासपुर, सरगुजा, बस्तर, मंडला, होशंगाद, शाजापुर, उज्जैन में लागू किया जा रहा है। प्रत्येक हितग्राही परिवार को एक एकड़ भूमि इस वर्ष कार्य के लिए दिया जाएगा। और तीन साल में प्रति परिवार वार्षिक आमदनी 15 हजार रुपये तक हो जायेगी कृमि पालन अलावा शहतूत में पत्तिया तोड़ना, कातून से धागा निकालना, वस्त्र बनाना, रंगाई, पुताई आदि के माध्यम से सहायक रोजगार के अवसर भी मिलेंगे इस योजना पर पांच वर्ष में साढ़े उन्नीस करोड़ रू. खर्च होंगे। और आमदनी का सिलसिला तीन वर्ष में प्रारम्भ हो जायेगा।

सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना :—

यह योजना पहले से ही लागू हैं। निराश्रित विधवाओं के लिए चल रही इस योजना की राशि रू. 60 से बढाकर एक सौ रू. प्रतिमाह कर दी गई हैं। यह लाभ उन निराश्रित महिलाओं को मिलेगा। जो 50 वर्ष या इससे अधिक है। पेंशन प्राप्त करने के लिए प्रक्रिया को आसान बनाने हेतु पेंशन की रकम का भुगतान डाकघर बचत खाते या बैंक खातों के जरिये किया जा रहा है। हित ग्राहियों को निःशुल्क परिचय-पत्र प्रदान किये जायेंगे।

———

श्री मुद्रणालय, 120, मारवाड़ी रोड, भोपाल फोन : 543318, 543111